न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 22/2018

दायर दिनांक – 11.05.2018

निर्णय दिनांक – 12.01.2022

जीसीएमएस नं0 –2018/00079

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री ईकबाल खां पुत्र श्री मुराद खां जाति चीता निवासी चौरसियावास तहसील व जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 ,132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री एन.एस.राजावत, अधि0, प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम होकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं0 305 में कारित लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में स्वीकृत नामान्तकरण सं0 1020 दिनांक 22/01/2008 के तहत अवाप्तशुदा भूमि को छोड़कर शेष भूमि रहन मुक्त कर प्रार्थी के नाम अंकित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया।

इस पर प्रार्थी Signature Not Verified [illegible] रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के [illegible] गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 01 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर हो[illegible] जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसील[illegible] पुष्कर द्वारा क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/2818 दिनांक 30.12.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:39:00 IST
Reason: SelfAttested

12.01.22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि ''राजस्व ग्राम होकरा की वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041 के खाता संख्या 1 आंशिक सरकार जमीने में खसरा नम्बर 391 रकबा 01–10–00 बीघा किस्म बारानी 2 पर नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 29.02.96 के अनुसार देवी वल्द खूमा कौम रावत खातेदार के नाम खसरा नम्बर 391 रकबा 01–10–00 बीघा का अंकन स्वीकार हुआ तथा नामान्तरकरण सख्या 1020 दिनांक 22.01.08 से जरिये बेचान खसरा नम्बर 391 रकबा 01–10–00 बीघा पर विक्रेता देवी वल्द खूमा के बजाय क्रेता इकबाल खान पुत्र श्री मुरादखान जाति चीता निवासी ग्राम चोरसियावास तह. व जिला अजमेर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। भू–प्रबन्ध विभाग की मिसल बन्दोबस्त संवत 2065–84 के अनुसार मिलान क्षेत्रफल निम्नानुसार है।

हाल		हाल	
ख.न.	क्षेत्रफल	ख.न.	क्षेत्रफल
477	0.24	391 मि.	0.24

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

ग्राम होकरा की जमाबन्दी संवत 2065–2084 के खाता संख्या 229 में खसरा नम्बर 477 रकबा 0.24 हैक्टेयर पर देवी वल्द खूमा कौम रावत सा. देह खातेदार राहिन अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. अजमेर मुर्तहीन के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। ग्राम होकरा की जमाबन्दी संवत् 2072–2075 वास्तविक संवत् 2072 के खाता संख्या 305 में खसरा नम्बर 477 रकबा 0.24 किस्म चाही 1 पर खातेदार देवी वल्द खूमा कौम रावत सा. देह खातेदार राहिन अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. अजमेर मुर्तहीन के नाम दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 15.07.17 अवाप्ति से खसरा नम्बर 477 रकबा 0.24 में से खसरा नम्बर 477 मि. रकबा 0.200 पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम स्वीकृत हुई का नोट जमाबन्दी में दर्ज है। ग्राम होकरा की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072–2075 (वर्ष 2018 से स्थायी) के खाता संख्या 305 में खसरा नम्बर 477 रकबा 0.2400 हैक्टेयर किस्म चाही 1 पर देवी पुत्र खूमा हिस्सा 1/6 जाति रावत सा. देह खातेदार राहिन सहकारी भूमि विकास बैंक लि. अजमेर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार हिस्सा 5/6 दिल्ली सरकार खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वाद पत्र के साथ संलग्न नामान्तरकरण व जमाबन्दी की छायाप्रति में कही पर भी विवादित खसरा नम्बर 391 रकबा 01–10–00 बीघा पर रहनमुक्त का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः अजमेर विकास बैंक लि. अजमेर को रहनमुक्त प्रमाण पत्र व सुनवाई के पश्चात ही वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 305 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:39:00 IST
Reason: SelfAttested

12.01.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

खसरा नम्बर 477 रकबा 0.24 हैक्टेयर किस्म चाही 1 पर देवी पुत्र खूमा हिससा 1/6 जाति रावत सा. देह खातेदार राहिन सहकारी भूमि विकास बैंक लि. अजमेर के स्थान पर क्रेता इकबाल खान पुत्र मुरादखान हिस्सा 1/6 जाति चीता निवासी ग्राम चोरसियावास तह. व जिला अजमेर खातेदार की दुरूस्ती किया जाना उचित होगा। शेष 5/6 हिस्सा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार खातेदार के नाम जमाबन्दी बदस्तूर रहेगा।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र/सहमति पत्र इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम होकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खसरा नंबर 477 रकबा 0.24 है0 में कारित लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 सपठित 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम होकरा तहसील पुष्कर के खसरा नंबर 477 रकबा 0.24 है0 के नवीन राजस्व जमाबंदी में देवी पुत्र खूमा जाति रावत हिस्सा 1/6 सा.देह खातेदार राहिन सहकारी भूमि विकास बैंक लि. अजमेर के स्थान पर क्रेता इकबाल खान पुत्र मुरादखान जाति चीता हिस्सा 1/6 निवासी ग्राम चोरसियावास तह. व जिला अजमेर व शेष 5/6 हिस्सा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2022 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:39:00 IST
Reason: SelfAttested

12.01.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)